

वकील फरीकेन उपा/उडो साहब अवकाश/दौर पर
पधारें हैं। पूर्वानुसार दिनांक 28/11/14 को पेश हों।

2

वकील फरीकेन उपा/उडो साहब अवकाश/दौर पर
पधारें हैं। पूर्वानुसार दिनांक 10/12/14 को पेश हों।

वकील फरीकेन उपा/उडो साहब अवकाश/दौर पर
पधारें हैं। पूर्वानुसार दिनांक 28/11/14 को पेश हों।

वकील फरीकेन उपा/उडो साहब अवकाश/दौर पर
पधारें हैं। पूर्वानुसार दिनांक 4/12/14 को पेश हों।

वकील फरीकेन उपा/उडो साहब अवकाश/दौर पर
पधारें हैं। पूर्वानुसार दिनांक 4/12/14 को पेश हों।

पत्रावली अल्ल लोक अदालत में पेश हुई
उक्त पत्रकारान उपरिपत्र अपने वाडीगण
एवं प्रतिवाडीगण की बहल सुनी गई। वाडीगण
का कथन है कि ग्राम खारवातसील लपोरश के
लाडि कक्ष में 500 बहलत खसखस
170 रुफसा 2 बीघा 05 दिवाकेनाडीगण
रिवाडेउ खारवातसील अदालत है, उक्त दिवा
डीगण उपरिपत्र का इक्त आराजी लेकोईलेना
डेना नहीं है तथा प्रतिवाडीगण का भी इक्त
आराजी लेकोई लेना डेना नहीं है। प्रतिवाडीगण
ने भी अपने जवाबदाव में यह स्वीकार
किया है कि जिवादि आराजी वाडीगण की
खारवातसील की है, तथा डोरने बहल भी
प्रतिवाडीगण ने यह स्वीकार की है
कि जिवादि आराजी वाडीगण की खारवातसील
की है। इनके पक्षों की बहल पर मनन
किया गया तथा पत्रावली का हजानपूर्वक
अन्वेषण किया गया। 28/11/14

वकील
समक्ष में पेश किया

जयराज

गुरार
31/11/14
परसादी
रामपुर

10/12

28/11

4/12

4/12

27/11

पत्रावली
उपा/उडो
साहब अवकाश
दौर पर

पीठासीन अधिकारी:- उप जिला कलेक्टर सपोहरा (करोली)

रुक्मकेश वर्मा उनवान
बनाम बडरीलाल वर्मा

दावा बाबत U/S 188 आई एच

मुकदमा नम्बर :- 50/13

निर्णय दिनांक :- 02/07/2015

वादी की ओर से रुक्मकेश वर्मा की व प्रतिवादी की ओर से बडरीलाल वर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02/07/2015 को श्री रुक्मकेश वर्मा (नाम पीठासीन अधिकारी) (R.S.) उपखण्ड अधिकारी, सपोहरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - इस वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को जर्मे स्थायी निषेधाज्ञा पत्र डिक्री किया जाता है कि इस वाद के तहत सपोहरा की अदालत सखश न. लाकड़ 500 वर्तमान एलन न. 170 रुकवा 2 कील 0.5 डिस्का में बारीगण की खोले डार्टो व कले काल में डिक्री डिक्री काया इत्यन्त ना हो स्वर करे, ना ही डिक्री डीगाले करके बडीगण को प्रतिवादीगण परेशान ना हो स्वर करे और ना ही डिक्री डीगाले करके।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 02/07/2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



02/07
पीठासीन अधिकारी (SDM)
(सपोहरा जिला न्यायालय, सपोहरा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	

सत्य प्रतिनिधि
02/07
उप जिला कलेक्टर
सपोहरा